



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2018/पौष 21, 1939

No. 12]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2018/PAUSHA 21, 1939

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2017

सं. एल-1/44/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) (पाँचवा संशोधन) विनियम, 2017 है।
- (2) ये विनियम, विनियम 7 के खण्ड (1) के उपखण्ड (म) और (य)के सिवाय भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे जो क्रमशः 1.7.2017 और 30.9.2016 से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन

- (1) मूल विनियम के विनियम 7 की खंड के खंड (1) में निम्नलिखित एक नया उपखंड (म) जोड़ा जाएगा:

“(म) आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए किसी प्रकार का पारेषण प्रभार और हानियां इस प्रकार की उत्पादन परियोजनाओं के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए सौर संसाधनों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता के लिए संदेय नहीं होगी यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:

- (i) ऐसी उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रदान की गई हो; और

- (ii) ऐसी उत्पादन क्षमता 1.7.2017 और 31.12.2019 के बीच वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की गई हो; और
 (iii) विद्युत क्रय करार (करारों) को उनकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के लिए वितरण कंपनियों को ऐसी उत्पादन क्षमता से विद्युत की बिक्री के लिए निष्पादित किया गया हो।”

(2) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) में निम्नलिखित एक नया उपखंड (य) जोड़ा जाएगा:

“(य) ऐसी उत्पादन परियोजनाओं के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए पवन ऊर्जा संसाधनों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं द्वारा ‘आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए किसी प्रकार के पारेषण प्रभार और हानियां संदेय नहीं होगी यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हैं:

- (i) ऐसी उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रदान की गई हो; और
 (ii) इस प्रकार की उत्पादन क्षमता 30.9.2016 से 31.03.2019 तक के बीच वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की गई हो; और
 (iii) विद्युत क्रय करार (करारों) को उनकी नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन के लिए वितरण कंपनियों को ऐसी उत्पादन क्षमता से विद्युत की बिक्री के लिए निष्पादित किया गया हो।”

3. मूल विनियम के विनियम के विनियम 8 का संशोधन

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड (5) के चौथे परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“परन्तु यह भी कि दीर्घकालिक पहुंचके आरंभ से पूर्व, स्टार्टअप ऊर्जा की निकासी करने वाला या इनफर्म ऊर्जा अंतःक्षेपित करने वाला उत्पादन केन्द्र मास के दौरान (संबंधित मास) इनफर्मऊर्जा के वास्तविक अंतःक्षेपण या स्टार्टअप ऊर्जा की निकासी की तत्स्थानी निकासी या अंतःक्षेपण प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा और ऐसे भुगतान के मद्दे प्राप्त रकम कीप्रतिपूर्ति संबंधित माह के दौरान डीआईसी की बिलिंग के समानुपात में, बिलिंग के माह के आगामी माह में डीआईसी को की जाएगी।”

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (6) के पश्चात्, एक नया खंड (7) जोड़ा जाएगा:

“(7) लक्षित क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक पहुंचवाले ऐसे डीआईसी जिसकीपीओसी दर तिमाही के लिए निर्धारित नहीं की गई है, लक्षित क्षेत्र की औसत पीओसी दर पर बिल किया जाएगा।”

4. मूल विनियम के विनियम 11 के खण्ड (5) का संशोधन:

मूल विनियम के विनियम 11 के खण्ड (5) का द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“परन्तु यह कि चयनित हिताधिकारियों के बिना ऐसे डीआईसी, जिनके पास लक्षित क्षेत्र की दीर्घकालिक पहुंच है, द्वारा मास के दौरान किसी क्षेत्र के लिए की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा प्रदत्त दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा तक सीमित ऐसे डीआईसी की दीर्घकालिक पहुंच के मद्दे समायोजित की जाएगी।”

5. मूल विनियम के विनियम 11 के खण्ड 6 का संशोधन:

मूल विनियम केविनियम 11 के खण्ड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

“बिल का तीसरा भाग एफईआरवी, प्रोत्साहन, पारेषण आस्तियों को आरंभ करने का पुनःअनुसूचीकरण, किसी पुनरीक्षण आदेश में बकाया देय.आदि में किसी भिन्नता को समायोजित करने के लिए उपयुक्त किया जाएगा जिसे चूंकि किसी आईएसटीएस पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए आयोग द्वारा अनुमति दी गई है। ऐसी कम वसूली या अधिक वसूली के कारण वसूल किये जाने वाले या प्रतिपूर्ति की जाने वाली कुल रकम संगत पीओसी लागू अवधि में औसत अनुमोदित अंतःक्षेपण या अनुमोदित निकासी प्रभारों के समानुपात में प्रत्येक डीआईसी को सीटीयू द्वारा बिल की जाएगी। बिल का वह भाग पूर्ववर्ती पीओसी आवेदन अवधि के लिए सितम्बर, दिसम्बर, मार्च और जून के प्रथम कार्यदिवस पर किया जाएगा।”

6. मूल विनियम के विनियम 11 के खण्ड (9) का संशोधन और खण्ड (10) को जोड़ा जाना:

मूल विनियम केविनियम 11 के खण्ड (9) के अधीन परन्तुकोंके स्थान निम्नलिखित नया खण्ड (10) रखा जाएगा।

“(10) दीर्घकालिक पहुंच के अधीन प्रभार संदेय करने वाले डीआईसी के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए ऑफसेट निम्नानुसार होगा:

- (क) यदि कोई ऐसा डीआईसी जिसके पास चयनित हिताधिकारियों के बिना लक्षित क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक पहुंच हो और दीर्घकालिक पहुंच के लिए अंतःक्षेपण प्रभार प्रदाय कर रहा हो, किसी क्षेत्र के लिए अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करता है:
- (i) अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा के लिए प्रभार दीर्घकालिक पहुंच की प्रदत्त मात्रा के लिए सीमित ऐसे डीआईसी की दीर्घकालिक पहुंच के लिए प्रभारों के मद्दे आगामी माह में समायोजित किया जाएगा।
- (ii) यह ऑफसेट मात्रा की सीमा तक सीमित होगा जिसके लिए डीआईसी ने दीर्घकालिक पहुंच के लिए पारेषण प्रभार संदत्त किया है।
- (ख) विद्युत की मात्रा, जिसके लिए डीआईसी को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई हो, अनुमोदित निकासी के लिए आफसेट किया जाएगा जिसके लिए निकासी पीओसी प्रभार संबंधित डीआईसी द्वारा संदत्त किए गए हों। यह आफसेट आधार मामले में विचार किए गए अनुमोदित निकासी और कुलनिकासी (भार घटा निजी अंतःक्षेपण) के बीच अंतर तक सीमित होगा, यदि अनुमोदित निकासी कुल निकासी से कम है।
- (ग) डीआईसी निकासी के लिए, यह समायोजन डीआईसी द्वारा अल्पकालिक निर्बाध पहुंचसंव्यवहार के लिए ही किया जाएगा, और राज्य नेटवर्क में सन्निहित अंतःराज्यिक कंपनियों और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने वालों को लागू नहीं होगा।
- (घ) ऐसे डीआईसी जिसके पास चयनित हिताधिकारियों के बिना लक्षित क्षेत्र में दीर्घकालिक पहुंच हो, द्वारा प्राप्त अल्पकालिक निर्बाध पहुंच का समायोजन संबंधित डीआईसी द्वारा किए गए सामूहिक संव्यवहारों के मामले में भी लागू होगा। ऐसे मामलों में, अंतःक्षेपण डीआईसी को अंतःक्षेपण प्रभारों के तत्स्थानी समायोजन किया जाएगा और निकासी डीआईसी को निकासी प्रभारों के तत्स्थानी समायोजन दिया जाएगा।
- (ङ) दीर्घकालिक पहुंच के मद्दे अल्पकालिक निर्बाध पहुंच का समायोजन ऐसे किसी व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए सामूहिक संव्यवहारों और द्विपक्षीय संव्यवहारों के लिए लागू नहीं होगा जिसके पास उस राज्य में उत्पादकों का पोर्टफोलियो है जिसके लिए दीर्घकालिक पहुंचको लक्षित क्षेत्र के लिए व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त किया गया था।”

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III /4/असा. /380/17]

टिप्पण: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की भागीदारी) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-III, खण्ड 4, संख्या 162 द्वारा तारीख 16.6.2010 को अधिसूचित किए गए तथा उनका निम्नानुसार संशोधन किया गया था-

- (क) प्रथम संशोधन विनियम, 2011 तारीख 25.11.2011 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-III खण्ड 4, संख्या 229 में प्रकाशित किए गए।
- (ख) द्वितीय संशोधन विनियम, 2012 तारीख 29.3.2012 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग- III खण्ड 4, क्रम संख्या 76 में प्रकाशित किए गए।
- (ग) तृतीय संशोधन विनियम, 2015 तारीख 7.4.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग- III खण्ड 4, क्रम संख्या 118 में प्रकाशित किए गए।
- (घ) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2015 तारीख 8.7.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग- III खण्ड 4, क्रम संख्या 239 प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2017

No. L-1/44/2010-CERC.—In exercise of the powers conferred under section 178 read with Part V of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter-State Transmission Charges & Losses) Regulations, 2010 as amended from time to time (hereinafter referred to as “The Principal Regulations”), namely:

1. Short Title and Commencement :

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) (Fifth Amendment) Regulations, 2017.
- (2) These regulations shall come into force from the date of publication of notification in the Gazette of India except in case of sub-clauses (y) and (z) of Clause (1) of Regulation 7 which shall come into effect from 1.7.2017 and 30.9.2016 respectively.

2. Amendment to Regulation 7 of the Principal Regulations:

- (1) A New Sub clause (y) to Clause (1) to Regulation 7 of Principal Regulations shall be added as under:

"(y) No transmission charges and losses for the use of ISTS network shall be payable for the capacity of the generation projects based on solar resources for a period of 25 years from the date of commercial operation of the such generation projects if they fulfill the following conditions:

- (i) Such generation capacity has been awarded through competitive bidding; and
- (ii) Such generation capacity has been declared under commercial operation between 1.7.2017 and 31.12.2019; and
- (iii) Power Purchase Agreement(s) have been executed for sale of power from such generation capacity to the Distribution Companies for compliance of their renewable purchase obligation.

- (2) A New Sub clause (z) to Clause (1) to Regulation 7 of Principal Regulations shall be added as under:

"(z) No transmission charges and losses for the use of ISTS network shall be payable for the generation based on wind power resources for a period of 25 years from the date of commercial operation of such generation if they fulfill the following conditions:

- (i) Such generation capacity has been awarded through competitive bidding; and
- (ii) Such generation capacity has been declared under commercial operation between 30.9.2016 till 31.3.2019; and
- (iii) Power Purchase Agreement(s) have been executed for sale of such generation capacity to the Distribution Companies for compliance of their renewable purchase obligations.

3. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:

(1) Fourth proviso to Clause (5) to Regulation 8 of Principal Regulations shall be substituted as under:

"Provided also that a generating station drawing start-up power or injecting infirm power before commencement of LTA shall be liable to pay the withdrawal or injection charges corresponding to the actual injection of infirm power or withdrawal start-up power during a month (concerned month) and the amount received on account of such payments shall be reimbursed to the DICs in the month following the month of billing, in proportion to the billing of the DICs during the concerned month."

(2) A new Clause (7) shall be added after Clause (6) to Regulation 8 of Principal Regulations:
“(7) DIC with LTA to target region whose POC rate has not been determined for the quarter, shall be billed at Average PoC rate of the target region.”

4. Amendment to Clause (5) to Regulation 11 of the Principal Regulations:

Second proviso to clause (5) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided further that the quantum of Medium Term Open Access to any region availed during a month by a DIC having Long Term Access to a target region without identified beneficiaries shall be adjusted against the Long-term Access of such DIC limited to the granted quantum of Long Term Access:”

5. Amendment to Clause (6) to Regulation 11 of the Principal Regulations:

Clause (6) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"The third part of the bill shall be used to adjust any variations in FERV, Incentive, rescheduling of commissioning of transmission assets, arrears due to any revision Order etc. as allowed by the Commission for any ISTS Transmission Licensee. Total amount to be recovered or reimbursed on account of such under-recovery or over-recovery shall be billed by the CTU to each DIC in proportion of its average Approved Injection or Approved Withdrawal Charges over the relevant PoC application period. This part of the bill shall be raised on first working day of September, December, March and June for the previous PoC application period."

6. Amendment to Clause (9) and addition of Clause (10) to Regulation 11 of the Principal Regulations:

Provisos under Clause (9) of Regulation 11 of the Principal Regulations shall be substituted with new Clause (10) as under:

“(10) The offset for STOA for a DIC paying charges under LTA shall be as follows:

(a) If a DIC, having LTA to a target region without identified beneficiaries and paying injection charges for Long Term Access, avails Short Term Open Access to any region:

(i) The charges for the quantum of Short Term Open Access shall be adjusted in the following month against the charges for Long Term Access of such DIC limited to the granted quantum of Long Term Access.

- (ii) This offset shall be limited to the extent of the quantum for which DIC has paid transmission charges towards long term access.
- (b) The quantum of power for which a DIC is granted STOA shall be offset against the Approved withdrawal for which Withdrawal PoC charges are paid by the concerned DIC. This offset shall be limited to difference between Approved Withdrawal and Net withdrawal (load minus own injection) considered in base case, if Approved withdrawal is less than the Net Withdrawal:
- (c) For Withdrawal DIC, this adjustment shall be given only for STOA transaction by DIC, and shall not be applicable to intra-State entities embedded in State network and availing STOA:
- (d) The adjustment for STOA availed by a DIC having LTA to target region without identified beneficiaries shall also be applicable in case of collective transactions undertaken by concerned DIC. In such cases, Injection DICs shall be given adjustment corresponding to injection charges and withdrawal DICs shall be given adjustment corresponding to withdrawal charges:
- (e) The adjustment of STOA against LTA shall not be applicable for collective transactions and bilateral transactions undertaken by a trading licensee, who has a portfolio of generators in a State for which LTA was obtained by the trading licensee to a target region."

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./380/17]

Note: The Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 were notified in Part III, Section 4, No. 162 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 16.6.2010 and amended vide –

- (a) First Amendment Regulations, 2011 published in Part III, Section 4 No. 229 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 25.11.2011.
- (b) Second Amendment Regulations, 2012 published in Part III, Section 4, No. 76 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 29.3.2012.
- (c) Third Amendment Regulations, 2015 published in Part III, Section 4, No. 118 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 7.04.2015.
- (d) Fourth Amendment Regulations, 2015 published in Part III, Section 4, No. 239 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 8.07.2015.